भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-71

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

प्रारूप यूजीसी विनियमन, 2025

71.श्री राकेश राठौर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित प्रारूप विनियमन, 2025 की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों की भूमिका को समाप्त करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं और इस कदम से देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार होने की अपेक्षा है;

(ग) देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या का मानक क्या है और उत्तर प्रदेश में इसके अनुपालन की स्थिति क्या है;

(घ) क्या यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछड़े वर्गों के कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार की निकट भविष्य में पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): उच्च शिक्षा के प्रत्येक पहलू में नवाचार, समावेशिता, लचीलापन और गतिशीलता लाने, शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को सशक्त बनाने, शैक्षणिक मानकों को सुदृढ़ करने और शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने तथा इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने व्यापक हितधारकों के परामर्श हेतु यूजीसी (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) विनियम, 2025 का मसौदा तैयार किया है। यह शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान के माध्यम से देश को विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है।

(ख): यूजीसी मसौदा विनियम 2025 उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय मानकों और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करके भारत के संघीय ढांचे को दृढ़ता से कायम और सुदृढ़ करता है। ये विनियम कुलपति की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय खोज-सह-चयन समिति का प्रस्ताव करते हैं। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के

लिए इन सदस्यों को निष्पक्ष वैधानिक निकायों द्वारा नामित किया जाना है। ये विनियम विभिन्न राज्यों के विविध शैक्षिक ढाँचों का सम्मान करते हुए शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

(ग से ङ): विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपायों पर यूजीसी विनियम, 2010 के अनुसार, एक नया विभाग शुरू करने के लिए एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर और चार सहायक प्रोफेसर के पद आवश्यक हैं और यह प्रावधान यूजीसी विनियम 2018 में भी जारी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने-अपने वैधानिक निकायों द्वारा अनुमोदित संकाय-छात्र अनुपात का पालन करते हैं।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियाँ पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं के खोलने, और मौजूदा संस्थानों में छात्रों की बढ़ती संख्या और क्षमता विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) में आरक्षण मानदंडों को अपनाने में एकरूपता और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संकाय पदों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इन सीएचईआई में शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया। यह अधिनियम आरक्षण के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को अलग-अलग विभागों के बजाय एक संवर्ग या इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करता है।

यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक साझा पोर्टल 'सीयू-चयन' शुरू किया है, जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है।

अगस्त, 2021 में, सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष अभियान चलाएँ। केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) ने ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए। सितंबर, 2022 में, इस मंत्रालय ने सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) को एससी, एसटी और ओबीसी सहित सभी रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए भी प्रेरित किया था। सितंबर 2022 से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने एससी, एसटी और ओबीसी सहित रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान चलाया है।

इसके अलावा, राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधानमंडल या प्रांतीय अधिनियम के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय मामले उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों/विनियमों द्वारा शासित होते हैं जिसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है।

****